निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 06 / 16
दायरा दिनांक :– 14.01.2016
निर्णय दिनांक :–31.03.2022

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र कालूलाल जाति रेगर निवासी इकलेरा तहसील बारां।
2. केशरीलाल पुत्र देवलाल जाति तेली निवासी इकलेरा तहसील बारां।
3. प्रभारी चिकित्सक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इकलेरा तहसील बारां।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 42 सपठित धारा 175–177 आर0टी0एक्ट
निर्णय दिनांक :– 31.03.2022

अभिभाषक उपस्थित :– 1 राजस्थान सरकार तहसीलदार
2 श्री ओमप्रकाश मेहता – प्रतिवादी क्रम 1
3 श्री ओम भारद्वाज – प्रतिवादी क्रम 2

तहसीलदार, बारां द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 42 सपठित धारा 175–177 आर. टी. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया। कि वाके ग्राम इकलेरा तहसील बारां जमाबंदी वर्ष 2070–73 में खाता सं0 238 में अंकित ख0नं0 643 रकबा 0.54 है0 भूमि बाबूलाल पुत्र कालूलाल जाति रेगर सा0देह के नाम खातेदारी में अंकित है। खातेदार के प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान कराये जाने का आदेश आई0एल0आर0 बामला को दिनांक 29.06.2015 को भेजा गया। आई0एल0आर0 बामला की सीमाज्ञान टीम ने बताया कि ख0नं0 643 रकबा 0.54 है0 पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है। मोके पर वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र विद्यालय की बाउण्ड्री, मकान बने है तथा पत्थर आदि पड़े है। उप स्वास्थ्य केन्द्र 20 वर्ष पूर्व का बनाम हुआ है।

खातेदार द्वारा एक विक्रय इकरारनामा दिनांक 07.02.2013 में अंकित किया है कि ख0नं0 643 रकबा 0.54 है0 में उत्तरी भाग में अस्पताल बना है। शेष दक्षिणी हिस्सा को 1.10 लाख में केशरीलाल पुत्र देवीलाल जाति तेली निवासी इकलेरा

उपखण्ड अधिकारी
बारां

का विक्रय किया गया है। पुनः एक और इकरारनामा वय दिनांक 23.05.2013 और तहरीर तहर 10/– रू का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निस्पादित कर यह अंकित किया गया है कि आराजी ख0नं0 643 रकबा 0.54 है0 का केता श्री केशरीलाल पुत्र देवीलाल जाति तेली निवासी इकलेरा को तादाद राशि 55000/– रू में विक्रय किया गया है। यह कि खातेदार द्वारा सवर्ण वर्ग के व्यक्ति को बेचान कर दी जा आर.टी.एक्ट की धारा 42 का उल्लघंन होने से धारा भूमि 175–177 अन्तर्गत सिवायचक दर्ज करना कानूनन आवश्यक है।

ख0नं0 643 रकबा 0.54 है0 में मोके पर अस्पताल बना हुआ, खातेदार अनु0जाति का सदस्य होते हुऐ तथा विक्रय इकरार नामा से सवर्ण वर्ग के सदस्य को अवैध बैचान कर दिया गया जो आर0टी0एक्ट 1955 की धारा 42 का स्पष्ट उल्लघंन है। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी नकल ग्राम इकलेरा 2070–73 गिरदावरी नकल वर्ष 2070–71, नक्शा यह कि सरपंच ग्राम पचांयत इकलेरा का पत्र आवंटन निरस्ती बाबत भी श्रीमान के यहां पेश किया है• जो संलग्न है। प्रार्थना पत्र में ग्राम पंचायत इकलेरा द्वारा आवंटन के पश्चात खातेदार द्वारा कभी भी काश्त नहीं करना, खातेदार का ग्राम का निवासी नहीं होना तथा पूर्व से भूमि काबिज काश्त नहीं होना अंकित किया गया है।

खातेदार का कब्जा नहीं है। 20 वर्ष से सरकारी अस्पताल बना है। सरकारी स्कूल बाउण्ड्री बनी हुयी है। मौके पर भूमि काबिल काश्त की नहीं होना स्वयं अप्रार्थी सं0 1 ने अपने इकरारे विक्रय में स्वीकार किया है। अप्रार्थीगण क्रम सं0 1 सीमाज्ञान कराने तथा कब्जा दिलाने का प्रार्थना पत्र लगातार पेश करता रहता है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अस्पताल में कार्यरत स्टाफ व उपचार में उपस्थित होने वाले रोगियों का रास्ता बाधित कर आये दिन परेशान करते रहते है। प्रतिवादी 1 के विरूद्ध धारा 175 में कार्यवाही की जाकर ग्राम इकलेरा के ख0नं0 643 रकबा 0.54 है0 भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने की व्यवस्था फरमावे।।

अनुसूचित जाति की भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति के नाम किया गया विक्रय तथा कब्जा किये जाने से आर0टी.एक्ट 1955 की धारा 42 का उल्लघंन होने से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राज्यहित का होने से शून्य कोर्ट फीस पर सेवा में प्रस्तुत है। प्रकरण की जानकारी प्रार्थी को जर्ये सीमाज्ञान कमेटी वक्त सीमाज्ञान अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा विक्रय पत्र इकरार नामें की छायाप्रति पेश करने पर दिनांक 02.07.2015 को आयी है, अपेक्षित राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 पृथक से संलग्न कर प्रेषित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि आ0ख0नं0 643 रकबा 0.54 है0 वाके ग्राम इकलेरा को सिवायचक खाते दर्ज करने के आदेश फरामाया जावे तथा अप्रार्थी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

व 2 को पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करे। अन्य किसी को रहन बेचान, दान कर हस्तान्तरित नहीं करें।

वादी पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 व 2 की और से जवाब पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम इकलेरा सम्वत 2070–73 खाता सं0 238, रिर्पोट पटवार मण्डल इकलेरा, नकल नक्शा ट्रेस, नकल खसरा गिरदावरी ग्राम इकलेरा सम्वत 2070–73, सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा जारी पत्र कमांक 99 दिनांक 28.12.15 पेश की गई। इकरारनामा मय दिनांक 23.05.2013 पेश किया गया।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी गण के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गईः–

1. आप कि ग्राम इकलेरा की आराजी ख0नं0 643 रकबा 0.54 है0 बाबूलाल पुत्र कालूलाल जाति रेगर के खातेदारी की है। जिस पर उसका कब्जा नहीं है। मोके पर स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय की बाउण्ड्री मकान बने हुए तथा पत्थर पडे है। वादी
2. आया कि ख0नं0 643 रकबा 0.54 है0 के दक्षिणी हिस्सा 1.10 लाख में केशरीलाल पुत्र देवलाल जाति तेली जर्ये इकरारनामा बेचान किया जो धारा 42 का उल्लघंन से 175–177 के अनुसार सिवायचक दर्ज किया जावे। वादी
3. आया कि बाबूलाल द्वारा 07.02.2013 व 23.05.2013 को केशरीलाल पुत्र देवालाल तेली को नहीं किया गया इकरारनामा फर्जी एवं बनावटी है। प्रतिवादी
4. आया कि उप स्वास्थ्य केन्द्र 40 50 वर्ग मीटर में ही बना हुआ है शेष रकबा ख0नं0 643 का खाली पड़ा हुआ है। प्रतिवादी
5. अनुतोषः–

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रतिवादी कम 1 के वकील का कथन है कि प्रतिवादी कम 1 बाबूलाल द्वारा भूमि का बेचान नहीं किया है। और ना ही कोई रजिस्ट्री करवाई गई। तहसीलदार द्वारा दस्तावेज पेश किया है वह फर्जी है वादी प्रतिवादी कम 1 की भूमि का नामान्तकरण नहीं खुला है आई ना ही बाबूलाल द्वारा कोई इकरारनामा लिखवाया गया है जो दस्तावेज पेश किया है वह फर्जी है। दावा खारिज किया जावे।

बहस के दोरान वकील प्रतिवादी कम 2 का कथन है कि विवादित भूमि को सिवायचक कर दिया। उक्त जमीन पर उप स्वास्थ्य केन्द्र व विद्यालय बनमा हुआ है। मोके पर भूमि काबिज काश्त नहीं है। कुछ भूमि पर हनुमान जी का मन्दिर बना हुआ है। कुछ भूमि खाली थी उसको बाबूलाल द्वारा मूल प्रतिवादी कम 2 केशरीलाल को बेचान कर दिया था। बाबूलाल द्वारा मेरे साथ धोखा धड़ी की है और

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

उक्त जमीन को गांव के अन्य व्यक्ति को बेचान कर दिया मुझे जमीन नहीं चाहिये और न ही मुझे मेरे रूपये चाहिये जमीन को सिवायचक दर्ज कर दिया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। वादी के वाद का तनकी वार निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है:-

तनकी नं0 1 :- इन तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। परोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम इकलेरा सम्वत 2070-73 खाता सं0 238 के अनुसार विवादित भूमि बाबूलाल पुत्र कालूलाल रेगर के खातेदारी में दर्ज है। रिर्पोट हल्का पटवारी इकलेरा के अनुसार विवादित आराजी बाबूलाल के खातेदारी में दर्ज है। जिस पर बाबूलाल खातेदार का कब्जा नही है। उक्त आराजी प्रार्थी को आवंटन हुई थी, उक्त आराजी पर वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र, रास्ता, विद्यालय की बाउण्ड्री, मकान, पत्थर आदि पडे हुए है। उप स्वास्थ्य केन्द्र लगभग 20 वर्ष पूर्व से बना हुआ है। जब से ही प्रार्थी बाबूलाल का ख0नं0 643 पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है। भूमि विवादित है अप्रार्थी केशरीलाल द्वारा नोटेरी बेचाननागा पेश किया है। जिससे उक्त आराजी का खातेदार द्वारा बेचान कर रखा है। सरपंच ग्राम पंचायत इकलेरा के पत्र कमांक 99 दिनांक 28.12.15 से बताया कि बाबूलाल पुत्र कालूलाल जाति रेगर निवासी इकलेरा के ग्राम पंचायत में उक्त व्यक्ति के नाम लगभग 25-30 वर्ष पूर्व ग्राम इकलेरा में भूमि आवंटन हुई थी। जिसका ख0नं0 643 रकबा 0.54 है0 है उक्त भूमि पर बाबूलाल ने न तो कभी काश्त की और ना ही कभी कब्जा किया गया तथा उक्त भूमि पर लगभग 20-21 वर्ष पुराना उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्कूल व हनुमान जी का मन्दिर बना हुआ है। तथा इस व्यक्ति ने कभी कोई एतराज नहीं किया है। इस भूमि को गांव के दो व्यक्तियों को बेचान कर दिया है जिससे गांव में विवाद हो रहा है। आवंटी व्यक्ति 20 वर्षो से गांव में नहीं रहता है। इस भूमि के आस पास समस्त ग्राम पंचायत के ऑफिस बने हुए है। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा भी सरकारी घोषित करने का निवेदन किया है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी पर उप स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय की बाउण्ड्री व मकान बने हुए है। अतः यह तनकी वादी के प्रश्न के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2 :- इन तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। प्रस्तुत इकरारनामा के अनुसार बाबूलाल द्वारा आराजी ख0नं0 643 रकबा 0.54 है0 भूमि 55000 रू में केशरीलाल पुत्र देवलाल को बेचान किया जाना पाया जाता है। उक्त इकरारनामे से यह साबित होता है कि केता सामान्य जाति का व्यक्ति है। तथा विकेता अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। इससे धारा 42 के उल्लघंन की श्रेणी में आता है। केता द्वारा सामान्य जाति के व्यक्ति को भूमि का बेचान किया गया है। विवादित भूमि धारा 175 आरटीए के तहत सिवायचक दर्ज किया जावे। खातेदार द्वारा विवादित

उपखण्ड अधिकारी
वारॉं

भूमि सामान्य जाति के व्यक्ति को बेचान किया है। धारा 42 का उल्लघंन किया है अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 1 को था। प्रस्तुत इकरारनामा से यह साबित होता है। कि बाबूलाल द्वारा केशरीलाल को भूमि का बेचान किया है। बाबूलाल प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उक्त दस्तावेज को फर्जी साबित करने का ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि प्रस्तुत इकरारनामा फर्जी है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 1 पर था। हल्का पटवारी की रिर्पोट एवं सरपंच ग्राम पंचायत इकलेरा के पत्र से यह साबित होता है कि उक्त ख0नं0 643 के लगभग 20–21 वर्षो से उप स्वास्थ्य केन्द्र बना हुआ है। तथा स्कूल की बाउण्ड्री हो रही है। आबादी बसी हुई है। तथा खातेदार बाबूलाल का उक्त भूमि पर आवंटन से आज तक कब्जा नहीं रहा है। तथा भूमि का बेचान अनुसूचित जाति द्वारा सामान्य वर्ग के व्यक्ति को किया गया है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 5 :– अनुतोष– उपरोक्त तनकीयात के विवेचानुसार यह तथ्य सामने आये है कि खातेदार बाबूलाल द्वारा केशरीलाल पुत्र देवलाल तेली को भूमि का बेचान किया है। बाबूलाल अनुसूचित जाति का व्यक्ति हे। तथा क्रेता केशरीलाल सामान्य जाति का व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में धारा 42 का उल्लघंन किया गया है। तहसीलदार द्वारा धारा 42 के उल्लघंन होने के कारण धारा 175 आरटीए का वादपत्र प्रस्तुत किया है। भूमि पर कभी खातेदार का कब्जा नहीं रहा तथा उक्त विवादित भूमि में उप स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल बाउण्ड्री, हनुमान मंदिर एवं मकान आदि बने हुए होना हल्का पटवारी की रिर्पोट व सरपंच ग्राम पंचायत इकलेरा के पत्र से साबित होता है। वादी द्वारा वादपत्र पूर्व में दिनांक 26.10.17 को निर्णय पारित किया गया था जिसकी अपील माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में की गई। माननीय न्यायलय द्वारा इस न्यायालय का निर्णय अपास्त कर पुनः तनकीवार एवं उभय पक्ष की साक्ष्य लेकर निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये थे। वादी का वाद तनकीवार एवं पूर्ण साक्ष्य लेकर निर्णय पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में धारा 42 का उल्लघंन होने के कारण वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी सिवायचक दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

कियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम इकलेरा के ख0नं0 643 रकबा 0.54 है0 भूमि सिवायचक दर्ज करने एवं आराजी को राजहक में लेने के आदेश तहसीलदार, बारां को दिए जाते है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बारां

उपखण्ड अधिकारी बारां

य उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

संख्या 06/16	धारा अंतर्गत 175, 177 RTA	निर्णय दिनांक 31-3-22
समक्ष - श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी		अभिभाषक प्रतिवादी श्री ओम मेहता II श्री ओम भारद्वाज

वाद शीर्षक

राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र कालूलाल जाति रेगर निवासी इकलेरा तह. बारां
2. केशरीलाल पुत्र डेनलाल जाति तेली निवासी इकलेरा तह. बारां
3. प्रभारी चिकित्सक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इकलेरा तह. बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी वाके ग्राम इकलेरा के ख. नं. 643 रकबा 0.54 हे. भूमि विवादग्रस्त दर्ज करते हुए आराजी को राज हक में लेने के आदेश तहसीलदार बारां को दिये जाते हैं।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 31-3-22 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		
	योग		